2017 00119

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 28/2017

अपीलांट्	बनाम्	रेस्पोडेंट
पूराराम पुत्र पांचाराम जाति मेगवाल निवासी पालियाली तहसील गुड़ामालानी		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रसद अपील अन्तर्गत धारा 22(ए)राजस्थान खाधान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश,1976 आदेश दिनांक22.05.2017बमुकदमा विभागीय प्रकरण संख्या 31/2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर

उपस्थितः–1.श्री सुनील बी.एल.रामावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

2.श्री जीयाराम प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.02.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट पूराराम उचित मूल्य दुकान पालियाली का डीलर नियुक्त है। पूराराम डीलर द्वारा नियमित रूप से राशि सामग्री का वितरण नहीं करने,केरोसीन की निर्धारित राशि से अधिक उपभोक्ताओं से वसूलने,स्टॉक मूल्य का प्रदर्शन नहीं करने,स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करने आदि की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर ने अपीलांट–पूराराम के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 31/17 दर्ज कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 द्वारा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया और प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर दी। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत खण्ड 22(A) राजस्थान खाधान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट को उसके विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ण सुनवाई एंव जवाब का समुचित अवसर नहीं दिया गया,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जो बिना मौके पर आये शिकायतकर्ता की झूठी शिकायत पर रिपोर्ट पेश की गई है, रिपोट काल्पनिक एंव तथ्यो से परे बनाकर पेश की है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से राशन सामग्री का वितरण एंव उन्हे वितरण रसीदे उपलब्ध करवाई जाती है। स्टॉक व मूल्य प्रदर्शन की सूची मौके पर चस्पा की गई थी एंव रजिस्टर का नियमित रूप से संधारण किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा उपभोक्ताओ से केरोसीन की निर्धारित राशि से अधिक वसूल नहीं की गई। केवल मात्र दुर्भावना वंश एंव कुछ शिकायतकर्ताओ की शिकायत पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो गलत है। इसलिये अपीलांट की स्वीकार कर प्राधिकार पत्र बहाल किया जाए। इसके जवाब में रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि डीलर पूराराम के विरूद्ध शिकायत पर वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओ को नियमित रूप से राशन सामग्री का वितरण नहीं करने,केरोसीन की अधिक राशि वसूल करने स्टॉक एंव मूल्य प्रदर्शन नहीं करने,खाध सुरक्षा सूची का चस्पा नहीं करने एंव स्टॉक रजिस्टर का नियमित रूप से संधारण नहीं करने की अनियमितताऐं पायी जाने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 22.05.2017 द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, वह सही है। इसलिये अपीलांट की अपील को खारिज किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट पूराराम पुत्र पांचाराम उचित मूल्य दुकान पालियाली का डीलर नियुक्त है,डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान में अनियमितता पायी जाने की शिकायत पर विभागीय प्रकरण संख्या 31/17 दर्ज किया गया। अपीलांट को जिला रसद अधिकारी,बाड़मेर ने विभागीय प्रकरण में सुनवाई हेतु पेशी तारीख 08.03.2017 का नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में अपीलांट पेशी तारीख 08.03.2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है, और आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। इसलिये अपीलांट का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उसे सुनवाई एंव जवाब का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक,बालोतरा द्वारा की गई जॉच एंव शिकायतकर्ता व उपभोक्ताओं के लिये गये बयानो में दुकानदार द्वारा नियमित रूप से उपभोक्ताओ को राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जाना,केरोसीन की निर्धारित राशि से अधिक राशि डीलर द्वारा उपभोक्ताओ से लेना,स्टॉक मूल्य का प्रदर्शन व खाध सुरक्षा सूची का चस्पांगन नहीं करना एंव स्टॉक रजिस्टर का संधारण नियमित रूप से नहीं पाया गया। दौराने जॉच उपभोक्ताओं को पोश मशीन से अधिक सामग्री का वितरण करना तथा उपभोक्ताओं को कम मात्रा में सामग्री दी जाना पाई गई एंव पोश से रसीद नहीं दिया जाना पायी जाने की अनियमितताऐं बरतना साबित है।अपीलांट ने राजस्थान खाधान्न एंव अन्य आवश्यक

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11,14 एंव 18 का उल्लंघन किया है। इसलिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर ने बाद जॉच एंव सुनवाई जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित किया है, वह सही एंव न्यायोचित है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 यथावत रखा जाता है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर